अनुसूचित 14 फारम सं0 562

आदेश पत्रक

देखे अभिलेख हंस्तक, 1914 का नियम 129

आदेश पत्रक ता0..तक जिला धनबाद

एम.पी.वाद सं0..................537/17 धारा/ 144 द.प्र.सं.

...थि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
...17	द.प्र.सं. की धारा–144 के तहत् थाना प्रभारी बरवाअड्डा से अप्राथमिकी सं0. ....05...../2017 दिनांक 22-3-2017....प्रतिवेदन प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन में दिया गया है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच भूमि विवाद है, जिसमें पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की सम्भावना बनी हुई है। पुलिस प्रतिवेदन का मैंने अवलोकन किया तथा अवलोकनोपरान्त मैं सन्तुष्ट हूँ की उक्त विवाद को लेकर पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संम्भावना बनी हुई है, जिसका तुरंत रोका जाना नितान्त आवश्यक हैं। अतः उभय पक्षों के विरूद्व द.प्र.सं. की धारा–144 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है। कार्रवाई प्रर्यन्त 60 (साठ) दिनों तक प्रश्नगत् भूमि पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि 10.5.17 ....को 10:30 बजे पूर्वा0 में मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना –अपना कारणपृच्छा दाखिल करें कि क्यों नही धारा–144 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा आपके विरूद्व सम्पुष्ट किया जाय। **प्रश्नगत भूमि का विवरण** मौजा–बिराजपुर, मौजा नं0–56, खाता नं0–54, प्लोट नं0–204, रकवा–08 डी0 चौहद्दी–पुरब–लालु रजक एवं किस्टु रजक का घरबाडी, पश्चिम–आशु रजवार एवं प्राण महतो का जमीन (खरीदा हुआ) उत्तर–ढालु राम महतो का जमीन (खरीदा हुआ) दक्षिण–गंगाधर पाण्डेय का जमीन । लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 31/3 अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद। (हस्ताक्षर) 31/3 अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद।	

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.08.22 16:38:10 +05:30
Location: 192.168.29.44

Scanned with OKEN Scanner